न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या – 1238 / 2024
अनवान : –

1. इन्द्राज पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामजीलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. गुडी पत्नी रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
3. आशाराम पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
4. माया पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक फेफाना तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 31/10/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 92 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.6440 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 138 / 133 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.3920 है० भूमि में से 367 / 1379 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजां 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 92 की कुल 0.6440 है० भूमि वादी के दादा सुरजाराम से जरिये विरास्तन नामान्तरण संख्या 239 दिनांक 20.07. 2004 को प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई तथा उक्त भूमि की आमदनी वा संयुक्त परिवार की आय से रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 138 / 133 की भूमि पैदा कर प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज करवा दी इसलिए दोनो खातों की भूमि में वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज हो गई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० हक हिस्सा है एवं प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 2 के साथ ब० हि० ब० हक हिस्सा है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए बिना जायज जरूरत के भू माफिया किस्म के लोगो को बेचान करने की फिराक में है तथा वादी को उसके हक हिस्सा से वंचित करके रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहते है तथा भूमि को रहन बैय करने की सरेआम धमकी देते है यदि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो वादी के साथ के साथ घोर अन्याय होगा भूखा मरने की नोबत आ जायेगी तथा वादी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं हैं इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 92 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.6440 है० भूमि एवं खाता संख्या 138/133 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.3920 है० भूमि में से 367/1379 हिस्सा भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

अतः वाद वादी घोषणा की जावे की रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 92 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.6440 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब० हि० ब० का बतौर ख खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं खाता संख्या 138/133 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.3920 है० भूमि में से 367/1379 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब० हि० ब० का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें।

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि मे`वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 4 के नाम मुताबिक हक हिस्सा दर्ज किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है लेकिन प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी स0 2 की खरीदशुदा भूमि है यानि की प्रतिवादी स0 2 की स्वयं अर्जित भूमि है जिसमें प्रतिवादी स0 2 के जीवनकाल में किसी कोई भी हक हिस्सा नही है इसलिए वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः–

1. आया की चक 11 केएनएन तहसील नो[illegible] का [illegible]6440 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं[illegible] 3 ता 4 को [illegible] के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खाता स० 1388/133 की 1.3920 हैक् भूमि में से 367/1379 हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी स० 2 के नाम दर्ज है में में वादी व प्रतिवादी स० 3 ता 4 को बहिब के द्य खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ?

–वादी

2. आया की प्रतिवादी स० 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे? ?

–वादी

3. आया की चक 11 केएनएन के खाता स० 92 में प्रतिवादी स० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी स० 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ?

–प्रतिवादी

4. आया की प्रतिवादी स० 2 के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी स० 2 की खरीदशुदा भूमि है जिसमें किसी का कोई हक हिस्सा नही है?

–प्रतिवादी

5. आया की प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार है जिसके खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही हो सकती है।

–प्रतिवादी

6. . दादरसी

वादीगण ने तनकीआत के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा 11 केएनएन खाता स0 92 ईएक्सपी–1, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा 11 केएनएन खाता स0 138 ईएक्सपी–2, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2060–63 रोही मौजा 11 केएनएन खाता स0 66 ईएक्सपी–3, खाता स0 82 ईएक्सपी–4 पेश कियें।

प्रतिवादीगण ने तनकीआत के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नकल नामान्तरण संख्या 368 चक 11 केएनएन बहक गुडी देवी ईएक्सडी–1, नकल बैयनामा दिनांक 13.06.2011 ईएक्सडी–1 पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन के अवलोकन के उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

<u>तनकी नम्बर 1 व 3</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ईएक्सपी–1 के मुताबिक रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 92 की कुल 0.6440 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में प्रतिवादी स0 1 के पूर्वजो के नाम रही है अर्थात वाद भूमि पैतृक भूमि है एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक भूमि में पुत्र व पुत्रीयों का अपने पिता के साथ बहिब जन्मजात हक हिस्सा है एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 92 की भूमि में में प्रतिवादी स0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है लेकिन प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज खाता स0 138 की 1.3920 हैक्ट भूमि में से 367 / 1379 हिस्सा भूमि दर्ज है। प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि [illegible] का कथन है कि उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय एवं दिनांक 18.06.201[illegible] राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज करवाई गई थी इसलिए प्रतिवादी स0 [illegible] के नाम दर्ज भूमि भी पैतृक भूमि है जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी का कथन है कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की स्वयं की खरीद शुदा भूमि है एवं पत्रावली मे प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा के मुताबिक उक्त भूमि प्रतिवादी स0 2 की स्वयं की खरदी की गई है। अतः प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी स0 2 के जीवनकाल मे वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 4 हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी स0 2 की स्वयं अर्जित भूमि है जबकि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है। अतः वादी तनकी न0 1 को सिद्ध करने में आंशिक सफल रहा है इसलिए तनकी न0 1 का निर्णय आंशिक वादी के पक्ष में किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 2</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था यह तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है इसलिए प्रतिवादी स0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है जबकि प्रतिवादी स0 2 के नाम भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दर्ज हुई है इसलिए प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होना साबित नही है अतः प्रतिवादी स0 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही है। अतः तनकी न0 2 को वादी आंशिक साबित करने में सफल रहा है इसलिए तनकी न0 2 का निर्णय भी आंशिक वादी के पक्ष में किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 3</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। यह तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ईएक्सपी–1 के मुताबिक रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 92 की कुल 0. 6440 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में प्रतिवादी स0 1 के पूर्वजो के नाम रही है अर्थात वाद भूमि पैतृक भूमि है एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक भूमि में पुत्र व पुत्रीयों का अपने पिता के साथ बहिब जन्मजात हक हिस्सा है एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 92 की भूमि में में प्रतिवादी स0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। इसलिए तनकी न0 3 का निर्णय बहक वादी प्रतिवादी स0 3 ता 4 एवं खिलाफ प्रतिवादी स0 1 किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 4</u> :– यह तनकी भी तनकी न0 1 पर आधारित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी स0 2 द्वारा प्रस्तुत ईएक्सडी –2 रजिस्टर्ड बैयनामा की चित्रप्रति के अनुसार गुडडी पत्नी रामजीलाल द्वारा दिनांक 13.06.2011 को रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 326/374 के मु0न0 55 किला न0 16 ता 19 व 24, 5 की कुल 1.379 हैक्ट, नहरी 1.354 हैक्ट खाला 0.025 हैक्ट में से 29 हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है। उक्त भूमि प्रतिवादी स0 2 की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण प्रतिवादी स0 2 उक्त भूमि के उपयोग व उपभोग हेतु स्वतंत्र है एवं [illegible] में अपने जीवनकाल में किसी को भी हक हिस्सा देने व न देने हेतु स्वतंत्र है। अतः [illegible] को प्रतिवादी स0 2 साबित करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सफल रही है इसलिए उक्त तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादीया स0 2 खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी नम्बर 5 :— यह तनकी भी तनकी न0 2 पर आधारित है जिसका निर्णय हो चुका है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है इसलिए प्रतिवादी स0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है क्योंकि पैतृक भूमि में रिकार्डेड खातेदार को भी पाबन्द किया जा सकता है जबकि प्रतिवादी स0 2 के नाम भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दर्ज हुई है इसलिए प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होना साबित नही है अतः प्रतिवादी स0 2 को को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अतः उक्त तनकी का निर्णय आंशिक प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। अतः वाद वादीगण आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 92 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.6440 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब० हि० ब० का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1238 / 2024

अनवान : –

1. इन्द्राज पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामजीलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. गुडी पत्नी रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
3. आशाराम पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
4. माया पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक फेफाना तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1238 सन 2024 निर्णय दिनांक 31/10/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 92 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.6440 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब० हि० ब० का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद, यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested